न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह आर0ए0एस

मुकदमा नं0 74/2024

रमेश पुत्र सुवालाल जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

प्रार्थी

बनाम

1. सुवालाल पुत्र बोदूराम
2. सतीश पुत्र सुवालाल
3. सुमित्रा पुत्री सुवालाल
4. सोनम पुत्री सुवालाल
   समस्त जाति कुमावत निवासी हिंगोनिया, तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण
5. तहसीलदार, तहसील जोबनेर
6. उपपंजियक, जोबनेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी

2. श्री अशोक कुमावत वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4

दिनांक :– 08/11/2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 759/145 रकबा 0.4527 वाकै ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 की पुश्तैनी आराजीयात है जो जरिये विरासत प्रतिवादी सं0 1 को उसके पिता स्व0 बोदूराम से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 बोदूराम का जायंदा पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 02 लगा0 04 पौत्र पौत्री है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 के परिवार में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगा0 04 का जन्म होते ही उनका हक व हिस्सा निहित हो जाता है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 01 को विरासत में मिली पुश्तैनी आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 का 1/5, 1/5 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 04 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है व भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर पुश्तैनी आराजी सम्पूर्ण को बेचान

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

करने पर आमाद है तथा हिन्दू उत्तराधिकार के तहत विरासत में मिली भूमि से वादी को प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 4 बेदखल कर भूमि को बेचान दीगर को करना चाहते है। वादी प्रतिवादी संख्या 01 के समान विरासत में मिली जमीन पर वर्षो से काबिज होकर उसकी काश्त करता आ रहा है जिससे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है इसके अलावा वादी के पास आय को अन्य स्त्रोत नही है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबों में कामयाव हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत/व्यवधान उत्पन्न ना करने, रहन बैय मुतंकिल, बेचान, हस्तांतरण नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 स्व0 बोदूराम का जायंदा पुत्र है तथा स्व0 बोदूराम का वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 पोत्र व पौत्री है जो कि स्वीकार है। परन्तु वादी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग नही किया गया है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ही केवल उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। और उक्त भूमि को उन्नत व विकसित करने हेतु समस्त खर्चा भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 ही वहन करते चले आ रहे है। वादी ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को परिवार का सदस्य नही समझा न ही कभी सेवा सुशूर्षा की ओर न ही कभी भी पारिवारीक खर्चो में किसी भी प्रकार का कोई सीर साझा होकर के अपने पारिवारीक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 सयुक्त रूप से काबिज काश्त एवं उक्त भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है एवं अन्य तथ्य गलत व अस्वीकार है। यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो सक्त हकतलफी होगी और कानूनी पेचिदकिया बढेगी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहरान किया तथा अप्रार्थी–प्रतिवादी संख्या 01 को प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत/व्यवधान उत्पन्न ना करने, रहन बैय मुतंकिल, बेचान, हस्तांतरण नहीं करने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु पाबंद फरमाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहरान करते हुये प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमावंदी संवत 2071–74 की प्रमाणित प्रति के मुताविक विवादित आराजी पूर्व में अप्रार्थी संख्या 01 के पिता बोदू पुत्र मोटा के नाम दर्ज थी। विवादीत आराजी नामान्तरण संख्या 1718 दिनांक 21.12.2015 द्वारा विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 को पिता बोदू से प्राप्त हुई है। जिससे यह स्पष्ट होतो की विवादीत आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है। प्रार्थी के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। इसलिए प्रार्थी के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी है। यदि विवादीत आराजी को बेचान होता किया जाता है तो प्रार्थी को असुविधा होगी। अगर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थी को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी में निहीत है।
3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी में निहित है। अतः मौके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया जावेगा तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को ताफैसला मुकदमा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाएं रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)